

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2लखनऊ:दिनांक: 09 जुलाई, 2019
विषय- शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-32/2018/सी0एम0-40/18-2-2019-
97 (ल0उ0)/2016, दिनांक 27 सितम्बर, 2018, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत
सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा
अंगीकृत किया गया है। उक्त के संबंध में निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये हैं-

क्र0स0	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक
1	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किए जाने के संबंध में	11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	23 अगस्त, 2017
2	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।	12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	25 अगस्त, 2017
3	जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने के संबंध में	21/2017/704/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	30 नवम्बर, 2017
4	जेम (GeM) पर शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु जेम सेल का गठन	19/2017/836/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	28 नवम्बर, 2017
5	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में	12/2018/203/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	27 अप्रैल, 2018

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उक्त समस्त संदर्भगत शासनादेश शासकीय वेबसाइट shasandesh.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि उच्च स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाइयों द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से आवश्यक सामग्री/सेवायें क्रय नहीं की जा रही है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सभी जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व जिलास्तरीय सभी कार्यालय जेम पोर्टल से ही क्रय की अनिवार्यता सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त अपने स्तर से भी अधीनस्थ कार्यालयों को समुचित निर्देश जारी करने कष्ट करें।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-16/2019/सी0एम0-21 (1)/18-2-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को अपने स्तर से निर्देशित करें कि समस्त उपायुक्त उद्योग संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय कर मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेंगे।
- 2- प्रभारी, जेम सेल, लखनऊ ।
- 3- समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
आज्ञा से,

प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।